**परिपत्र सं0.-5/2017-सीमाशुल्क**

फा.सं. 609/13/2017-डीबीके

भारत सरकार
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
प्रतिअदायगी प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी, 2017

सेवा में,
प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक
मुख्य आयुक्त/ महानिदेशक
सीबीईसी के अधीन सभी प्रधान आयुक्त और
आयुक्त

महोदय/महोदया,

**विषय:- एईओ प्रमाणपत्र धारकों को प्रतिअदायगी की मंजूरी के उद्देश्य से नमूनों के आहरण से छूट के संबंध में।**

मुझे प्रतिअदायगी की मंजूरी के उद्देश्य हेतु नमूने के आहरण की मौद्रिक सीमाशुल्क आवृत्ति निर्धारण परिपत्र सं0. 34/95-सीमाशुल्क दिनांक 06.04.1995 तथा परिपत्र सं0.25/2005-सीमाशुल्क के साथ पठित परिपत्र सं0. 57/1997-सीमाशुल्क दिनांक 31.10.1997 मे जहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा नमूनों की पूर्व में आहृत किए गए हैं और आंतरिक जांच प्रसुविधाओं वाले निर्यातकों को नमूनों के आहरण से कतिपय छूट दी गयी है, के प्रति आपका ध्यान दिलाने का निदेश हुआ है।

2. उपर्युक्त परिपत्र की निरंतरता में, और आगे की सुविधा के लिए एक उपाय के रूप में, बोर्ड द्वारा यह निर्णय किया गया है कि उन निर्यातकों को जिन्हें परिपत्र सं0. 33/2016-सीमाशुल्क दिनांक 22.07.2016 के अनुसार प्राधिकृत आर्थिक संचालक (एईओ) प्रमाणपत्र (टीयर II टीयर III)प्रदान किए गए हैं, को सिवाय किसी विशिष्ट सूचना अथवा आसूचना के मामले में, प्रतिअदायगी की मंजूरी के उद्देश्य से नमूनों के आहरण से रियायत दी जा रही है।

3. अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु समुचित सार्वजनिक नोटिस और स्थायी आदेश को जारी किया जाए। यदि कोई परेशानी हो तो उसे बोर्ड के नोटिस में लाया जाए।

भवदीय,

(दिपिन सिंगला)
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (प्रतिअदायगी)